न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2021

अनवान : –

1. हरिसिंह पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. वाप्कोस प्रतिनिधि मुख्यालय हनुमानगढ़।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांकः 16/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 की खरीद शुदा खातेदारी भूमि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के ख.न. 339/3 की 2.5543 हैक्टर भूमि ख.न. 339/6 की 1.4927 हैक्टर भूमि कुल 2 खसरा की 4.0470 हैक्टर भूमि है। सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 लगातार निर्वहन रूप से अपनी खातेदारी को काश्त करते चले आ रहे है। वाद भूमि नोहर साहवा मुख्य रोड़ पवर स्थित है तथा किमती है जिसको सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 ने भारी रूपया लगाकर व काश्त करके भूमि को तैयार किया है।

गैरसयल सं. 1 ने सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 को एक परचा खतौनी जारी की जिसमें सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 की कुल 4.0470 हैक्टर भूमि केवल एक खसरा नं. 339/3 में कुल भूमि 4. 0470 हैक्टर भूमि दर्शाते हुऐ चकबन्दी पत्थर बनाते हुए कुल 3.0360 हैक्टर भूमि की इस प्रकार 1.011 हेक्टर भूमि कम करके जारी की गयी है जो विधि विरूद्ध है जबकि सायल की कुल 2 खसरेजात में भूमि थी इस प्रकार लगभग 4 किला भूमि कम करना सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 को भौतिक अधिकारो का हनन होता है। चूंकि अड़ोस पडौस के सभी काश्तकार को पूरी भूमि पर्चा दिया गया है कुछ को ज्यादा भूमि का भी दिया गया है सायल की 4 बीघा भूमि का कम किया जाना विधि विरूद्ध है तथा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 को अपूर्णीय क्षति पहुंचाने वाला है अतः घोषणा करापाने का अधिकारी है कि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 की कुल 4.0470 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है। गैरसयलान सं. 1 व 2 ने सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 की मुख्य सड़क नोहर साहवा पर स्थित है अडौस पडौस से मिलकर नुक्शान पहुंचाने के उदेश्य से की गयी है अतः [illegible] आरं [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करापाने के अधिकारी है कि वो जबतक सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 की भूमि का सही माप कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भूमि का प.न. किला नम्बर में सही अंकन नहीं होता है तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तक चकबन्दी की सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 के हक तक पालना न की जावे।

ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 316 के ख.न. 339/3 की 2.5543 हैक्टर भूमि ख.न. 339/6 की 1.4927 हैक्टर कुल तादादी 4.0470 हैक्टर भूमि जब तक पुन जाँच कर प्रार्थी की भूमि को पुरा न करे तब सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 के कब्जा काश्त में दखल न देवे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 316 के ख.न. 339/3 की 2.5543 हैक्टर भूमि ख.न. 339/6 की 1.4927 हैक्टर कुल तादादी 4.0470 हैक्टर भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गैरसयल सं. 1 ने सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 को एक परचा खतौनी जारी की जिसमें सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 3 की कुल 4.0470 हैक्टर भूमि केवल एक खसरा नं. 339/3 में कुल भूमि 4.0470 हैक्टर भूमि दर्शाते हुऐ चकबन्दी पत्थर बनाते हुए कुल 3.0360 हैक्टर भूमि की इस प्रकार 1.011 हेक्टर भूमि कम करके जारी की गयी है, जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की भूमि कम कैसे हुई है एवं किस प्रकार कम हुई है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर